



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273655  
CG-DL-E-19062026-273655

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3131]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3255(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को वह तारीख मानती है जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि यह कलकत्ता मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985 (1985 का 10) और रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रमांक संख्या 47 और 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, क्रमशः प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 2023/O&M/17/1/Vol.3]

टी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2026

**S.O. 3255(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial numbers 47 and 52 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Calcutta Metro Railway (Operation and Maintenance) Temporary Provisions Act, 1985 (10 of 1985) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) respectively, shall come into force.

[F. No. 2023/O&amp;M/17/1(Vol.3)]

T. SRINIVAS, Jt. Secy.